कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 1157 दिनांकः– 16.10.15

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– मेसर्स यू0सी0आई0एल0, जादूगोड़ा माईनिंग लीज का जमशेदपुर वन प्रमंडल अन्तर्गत मौजा इचड़ा, मचुआ एवं भाटीन में 100.681 हे0 भूमिगत एवं 33.743 हे0 सतही कुल 134.424 हे0 वन भूमि अपयोजन का नवीकरण प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर का पत्रांक 1917 दिनांक 27.08.2015

महाशय,

उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर के प्रासंगिक पत्र द्वारा जमशेदपुर वन प्रमंडल अंतर्गत मेसर्स यू0सी0आई0एल0, जादूगोड़ा माईनिंग लीज का मौजा– इचड़ा, मेचुआ एवं भाटिन में 100.681 हे0 भूमिगत एवं 33.743 हे0 सतही उपयोग हेतु कुल 134.424 हे0 वनभूमि अपयोजन का नवीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस योजना में कुल लीज क्षेत्र 531.204 हे0 है, जिसमें रैयती भूमि 378.77 हे0 सरकारी भूमि 18.01 हे0 है। संबंधित अंचल पदाधिकारियों के द्वारा इस भूमि पर जंगल–झाड़ी दर्ज नहीं होने की चर्चा की गई है। (अंचल पदाधिकारी, मुसाबनी का पत्रांक 566 दिनांक 22.09.2015 एवं अंचल पदाधिकारी, पोटका का पत्रांक 954 दिनांक 08.10.2015) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयोक्त प्रस्ताव को Website पर अपलोड किए गए प्रपत्र की hard copy प्रस्ताव के रूप में समर्पित किया गया है। उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के समीक्षोपरान्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा निम्नवत प्रतिवेदित किया गया है :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Website पर अपलोड किए गए प्रपत्र की कंडिका – A-4 - Details approvals under the Forest (Conservation) Act, 1980 accorded in past में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Area of forest land diverted में 53.783 हे0 अंकित किया गया है, जबकि पूर्व में भारत सरकार के पत्रांक 8–49/1997 एफ0सी0 दिनांक 20.04.1998 द्वारा 100.681 हे0 भूमिगत एवं 53.783 हे0 सतही कुल 154.464 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु स्वीकृत किया गया था, अतः इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इसमें वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल अथवा वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर द्वारा सुधार कराया जाना था। चूँकि उपरोक्त दोनों पदाधिकारियों द्वारा प्रस्ताव को उपरोक्त त्रुटि के साथ Online uploading करने की कार्रवाई की जा चुकी है, अतः इस त्रुटि में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुधार किया जाना संभव नही है, चूँकि भारत सरकार के Website OMFC (Online Monitoring of Forests Clearances) में Dynamic नहीं है।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Website पर अपलोड किए गए प्रपत्र की hard copy के Heading में "Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for Diversion of fresh forest area" अंकित है जबकि विषयोक्त प्रस्ताव वनभूमि अपयोजन का नवीकरण से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के द्वारा नवीकरण के लिए निर्धारित प्रपत्र Form - B में नवीकरण हेतु वर्णित प्रावधान अन्तर्गत कुल 1 से 4 बिन्दुओं पर सूचना देकर प्रस्ताव समर्पित किया जाना है, परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त निर्धारित प्रपत्र Form -B, जो नवीकरण के लिए है, के Part-I में क्रमांक 1 से 4 में वांछित सूचनाएँ अंकित कर समर्पित नहीं किया गया है। इस संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल के द्वारा प्रयोक्ता को उक्त प्रपत्र से अवगत कराना था, क्योंकि वन प्रमंडल पदाधिकारी इस प्रावधान से अवगत थे तथा इसी कारणवश उन्होंने Form -B के Part-II में क्रमांक 5 से 9 कॉलम में दी जानेवाली सूचनाएँ भी है। इस संबंध में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर के कार्यालय द्वारा अवगत कराए जाने के पश्चात् प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा उपरोक्त Form-B के Part-I के 1 से 4 बिन्दु पर सूचना भर कर समर्पित किया है, जिसे प्रस्ताव के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। चूँकि भारत सरकार के Website OMFC (Online Monitoring of Forests Clearances) में Dynamic नहीं है।

3. इसी क्रम में कहना है कि वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर के द्वारा Form-B के Part-III में क्रमांक 10 सं 12 में वांछित सूचनाएँ एवं मंतव्य अंकित किया जाना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा Part-III में क्रमांक 14 से 16, जो fresh forest area के लिए निर्धारित प्रपत्र में है, में वांछित सूचनाएँ एवं मंतव्य अंकित कर Website पर अपलोड कर दिया गया है। इसके लिए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर द्वारा पृच्छा करते हुए अधोहस्ताक्षरी से अनुरोध किया गया है कि Part-III में अंकित गलत क्रम संख्या को अपने स्तर से सुधार की जाय, चूँकि भारत सरकार के Website OMFC (Online Monitoring of Forests Clearances) में Dynamic नहीं है। अतः सुधार किया जाना संभव नहीं है।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर के द्वारा समर्पित Part-III के क्रमांक – 15 की कंडिका – B(4) में वर्णित केन्द्र सरकार द्वारा मेसर्स यू0सी0आई0एल0 के पक्ष में पत्रांक 8-49/97-FC दिनांक 24.07.1997 तथा 8-49/97-FC दिनांक 20.04.1998 द्वारा वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत क्रमशः दी गई प्रथम तथा द्वितीय (अन्तिम) स्टेज की स्वीकृति से संबंधित पत्रों की छायाप्रति upload नही की गई है। उन पत्रों की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया है कि अधोहस्ताक्षरी के स्तर से उन पत्रों को अपलोड करने की कार्रवाई की जाय। किन्तु भारत सरकार के Website OMFC (Online Monitoring of Forests Clearances) में Dynamic नहीं है। अतः सुधार किया जाना संभव नहीं है।

5. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर ने प्रतिवेदित किया है कि पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No. 8-49/97-FC दिनांक 20.04.1998 द्वारा मेसर्स यू0सी0आई0एल0, जादूगोड़ा को 100.681 हे0 भूमिगत एवं 53.783 हे0 सतही कुल 154.464 हे0 वनभूमि अपयोजन की द्वितीय स्टेज की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वर्तमान प्रस्ताव पूर्व में वनभूमि अपयोजन स्वीकृत प्रस्ताव के नवीकरण से संबंधित है जिसमें 100.681 हे0 भूमिगत एवं 33.743 हे0 सतही उपयोग हेतु कुल 134.424 हे0 वनभूमि प्रस्तावित है। वर्तमान नवीकरण प्रस्ताव में पूर्व से स्वीकृत 53.783 हे0 सतही उपयोग हेतु वनभूमि के रकबा में 20.04 हे0 की कमी करते हुये मात्र 33.743 हे0 वनभूमि नवीकरण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया गया है। भूमिगत 100.681 हे0 वनभूमि के रकबा में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया है। भूमिगत 100.681 हे0 वनभूमि को यथावत नवीकरण प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है। नवीकरण प्रस्ताव से छोड़ी गयी 20.04 हे0 सतही भूमि के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक स्पष्टीकरण पत्र समर्पित किया गया है जो प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर – 17 में द्रष्टव्य है, जिसमें उक्त 20.04 हे0 सतही भूमि के संबंध में उल्लेख किया गया है कि उक्त क्षेत्र खनन लीज क्षेत्र से बाहर है तथा उक्त क्षेत्र को खान से नहीं अपितु Ore processing plant से निकले Waste के निस्तारण हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त 20.04 हे0 वनभूमि के संबंध में में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक बचनबद्धता भी दिया गया है कि वे इस संबंध में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के द्वारा लिए गये निर्णय का वे अनुपालन करेंगे (जो प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर – 27 में द्रष्टव्य है।

6. प्राप्त विषयक वनभूमि अपयोजन नवीकरण प्रस्ताव में वनभूमि का Purpose wise breakup निम्नवत् है :–

Sl No.	Component	Forest land for underground use (ha.)	Forest land for surface use (ha.)	Village
1	2	3	4	5
1	Sewage Treatment Plant	-	1.773	Ichra
2	Waste disposal area	-	17.06	Bhatin & Mechua
3	Surface mining facilities	-	14.91	Ichra, Bhatin and Mechua
4	Underground Mining activities	100.681	-	Ichra, Bhatin and Mechua
	Total	**100.681**	**33.743**	

7. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No. 8-49/97-FC दिनांक 20.04.1998 द्वारा 100.681 हे0 भूमिगत एवं 53.783 हे0 सतही उपयोग हेतु कुल 154.464 हे0 वनभूमि अपयोजन की द्वितीय स्टेज की स्वीकृति के आलोक में अद्यतन स्थिति से क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा अवगत कराया गया है जो निम्नवत् है :–

i) शर्त्त संख्या 1 जो कि वनों की स्थिति यथावत रखने से संबंधित है, के अनुपालन में वनों की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

ii) शर्त्त संख्या 2 के अनुपालन के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 8.68 हे0 अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण हेतु 138880/– (एक लाख अड़तीस हजार आठ सौ अस्सी रूपया) मात्र का भुगतान किया गया है।

iii) शर्त्त संख्या 3 के अनुपालन के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 31.40 हे0 वनभूमि में दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण हेतु कुल 502400/– (पाँच लाख दो हजार चार सौ रूपया) मात्र का भुगतान किया गया है।

iv) शर्त्त संख्या 4 के अनुपालन के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सूचित किया गया है कि यू0सी0आई0एल0 द्वारा जादूगोड़ा माईन्स से 25 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत रहने वाले सभी कर्मचारियों को घरेलू गैस उपलब्ध कराया गया है, साथ ही आवासीय कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों को रियायती दर पर बिजली भी उपलब्ध करायी जा रही है।

v) शर्त्त संख्या 5 जो कि श्रमिकों द्वारा अतिक्रमण करने से संबंधित है कि अनुपालन के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि यू0सी0आई0एल0 के कर्मियों का आवासीय कॉलोनी में क्वाट्र उपलब्ध है।

vi) शर्त्त संख्या 6 के अनुपालन के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सूचित किया गया है कि यू0सी0आई0एल0 द्वारा वनों में आग की रोकथाम हेतु अक्सर आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।

vii) शर्त्त संख्या 7 के अनुपालन के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सूचित किया गया है कि वनों की रक्षा में लगे वन कर्मियों को यू0सी0आई0एल0 द्वारा पेय जल उपलब्ध कराया जा रहा है।

viii) शर्त्त संख्या 8 के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुरक्षा पट्टी के डेढ़ गुणा क्षेत्रों में वनरोपण हेतु, कुल 75200/– (पचहत्तर हजार दो सौ रूपये) मात्र का भुगतान किया गया है।

ix) शर्त्त संख्या 9 के अनुपालन के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सूचित किया गया है कि प्रस्ताव में उल्लेखित उद्देश्य विशिष्ट हेतु ही वनभूमि का उपयोग किया गया है।

x) शर्त्त संख्या 10 के अनुपालन के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि वनस्पति एवं जीव–जन्तुओं के सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गयी शर्त्तों का अनुपालन हेतु सहमति प्रदान की गयी है।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयगत प्रस्ताव को Website पर अपलोड किये गये प्रपत्र की हार्ड कॉपी प्रस्ताव के रूप में समर्पित किया है। उक्त प्रस्ताव की समीक्षोपरान्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर ने प्रतिवेदन के साथ निम्नलिखित सूचनाएँ एवं तत्संबंधी अभिलेख संलग्न किया गया है :–

i) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र Form-B के पार्ट–I में परियोजना से संबंधित मूलभूत सूचनाएँ अंकित की गई है।

ii) वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा क्रमशः निर्धारित प्रपत्र– II, III एवं III 'A' में परियोजना से संबंधित वांछित सूचना एवं मंतव्य अंकित करते हुए अनुशंसा की गई है।

iii) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अधिकृत किये गये प्रतिनिधि से संबंधित पत्र प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–1 के रूप में संलग्न है।

iv) प्रस्ताव के संबंध में वन भूमि अपयोजन की औचित्यता के संबंध में पत्र प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–2 के रूप में संलग्न है।

v) पर्यावरणीय स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–3 के रूप में संलग्न है।

vi) वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् संबंधित उपायुक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–4 के रूप में संलग्न है।

vii) झारखण्ड सरकार, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा खनन पट्टा नवीकरण संबंधी पत्र प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–5 के रूप में संलग्न है।

viii) खनन पट्टा संलेख (Deed) की प्रति प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–6 के रूप में संलग्न है।

ix) भारत सरकार, परमाणु उर्जा विभाग, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लॉन की प्रति प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–7 के रूप में संलग्न है।

x) खनन अभियान्त्रिक विभाग, भारतीय खनिज विद्यालय, धनबाद के सहयोग से भूमिगत खनन से संबंधित Subsidence Monitoring का अध्ययन प्रतिवेदन। प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–8 के रूप में संलग्न है।

xi) End use of mineral की छाया प्रति प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–9 के रूप में संलग्न है।

xii) खनिज परिवहन से संबंधित पत्र प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–10 के रूप में संलग्न है।

xiii) परमाणु उर्जा अधिनियम 1962 की प्रति प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–11 के रूप में संलग्न है।

xiv) परमाणु उर्जा अधिनियम 1984 की प्रति प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–12 के रूप में संलग्न है।

xv) प्रस्ताव खनन स्थल का टोपोशीट (1:50000) स्केल पर प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–13 के रूप में संलग्न है।

xvi) जियोरेफरेन्स ग्रामीण नक्शा (डी0जी0पी0एस0 ड्रईंग) प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–14 के रूप में संलग्न है।

xvii) भूमि उपयोग योजना का नक्शा प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–15 के रूप में संलग्न है।

xviii) वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर को संबोधित पत्र संख्या शून्य दिनांक 25.04.2015 की प्रति प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–16 के रूप में संलग्न है।

xix) पूर्व से स्वीकृत वनभूमि के कुल रकबा से न्यूनतम वनभूमि अपयोजन का नवीकरण प्रस्ताव समर्पित करने के संध में स्पष्टीकरण की प्रति प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–17 के रूप में संलग्न है।

xx) लागत–लाभ विश्लेषण की प्रति। प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–18 के रूप में संलग्न है।

xxi) उद्देश्यवार वन भूमि उपयोग की विवरणी प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–19 के रूप में संलग्न है।

xxii) क्षतिपूरक वनरोपण एवं अतिरिक्त क्षतिपूरक वनरोपण राशि के भुगतान के साथ समय–समय पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्त्तो के अनुपालन के संबंध में वचनबद्धता। प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–20 के रूप में संलग्न है।

xxiii) रिक्लेमेशन प्लॉन। प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–21 के रूप में संलग्न है।

xxiv) सेफ्टीजोन से संबंधित वचनबद्धता पत्र प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–22 के रूप में संलग्न है।

xxv) नये वृक्षों के पातन नहीं करने के संबंध में वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–23 के रूप में संलग्न है।

xxvi) ग्राम पंचायत की आम सभा की कार्यवाही की प्रति प्रस्ताव क साथ एनेक्स्चर–24 के रूप में संलग्न है।

xxvii) दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण राशि के भुगतान के साथ समय–समय पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्त्तो के अनुपालन के संबंध में वचनबद्धता। प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–25 के रूप में संलग्न है।

xxviii) एन0पी0वी0 एवं अतिरिक्त एन0पी0वी0 राशि के भुगतान के साथ समय–समय पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्त्तों के अनुपालन के संबंध में वचनबद्धता। प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–26 के रूप में संलग्न है।

xxix) लीज क्षेत्र के बाहर अवस्थित 20.04 हे0 वनभूमि के संबंध में राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा लिये जाने वाले निर्णय के अनुपालन करने के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित किया है। प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–27 के रूप में संलग्न है।

xxx) के0एम0एल0 फाईल, सेफ फाईल एवं जियो रेफेरेन्स मैप की सी0डी0 प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–28 के रूप में संलग्न है।

xxxi) डी0सी0एफ0 का स्थल जाँच प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–29 के रूप में संलग्न है।

xxxii) वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमदेशपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर से प्रस्ताव की अपलोड ऑनलाईन से संबंधित Timeline details की प्रति प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–30 के रूप में संलग्न है।

xxxiii) नवीकरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना सूची समर्पित करने के संबंध में वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–31 के रूप में संलग्न है।

xxxiv) जिले से संबंधित मूलभूत सूचनाएँ प्रस्ताव के साथ एनेक्स्चर–32 के रूप में संलग्न है।

xxxv) प्रपत्र Part-IV में अधोहस्ताक्षरी द्वारा वांछित सूचना एवं मंतव्य अंकित किया गया है।

xxxvi) विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर के मंतव्य से अधोहस्ताक्षरी सहमत है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर के प्रासंगिक पत्र के साथ प्राप्त विषयोक्त प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ सभी संबंधित एनेक्चरों सहित संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

16/10/015

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

16.10.15

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

UCIL, Jadugoda Mining Lease

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of **134.424** *ha of Forest land.*

Date :- 16.10.2015

Place :- Ranchi

Signature

16/10/2015

(ARUN KUMAR PRABHAKAR)
Nodal Officer
Name & Designation

(Official Seal)

P.C.C.F
cum
Executive Director
Waste Land Development Board,
Jharkhand, Ranchi-834002